

जखमी होने पर आपके स्वास्थ्य लाभ

(1 सितंबर, 2018 से प्रभावी)

नए कानून के तहत, नियोक्ताओं को दुर्घटना की तारीख के बाद एक वर्ष तक*, अपने जखमी श्रमिकों को काम पर लगी चोट की वजह से अनुपस्थित रहने पर या अपने नियमित कर्तव्यों को करने में असमर्थ होने पर उनके स्वास्थ्य लाभों का भुगतान करना जारी रखना होगा।

यदि आप चोट या बीमारी से पहले उस लाभ योजना में भुगतान कर रहे थे, तो आपको योजना में भुगतान करना जारी रखना होगा।

यह कानून सितंबर 1, 2018 को या उसके बाद दुर्घटना की तारीख के साथ सभी दावों पर लागू होता है।

यदि आपको काम के दौरान चोट लग जाती है तो कानून के बारे में आपको और क्या-क्या जानने की आवश्यकता है, वो इस प्रकार है:

1. पॉलिसी 04-02, भाग II के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ की परिभाषा क्या है?

स्वास्थ्य देखभाल लाभ में निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं: दंत-चिकित्सा, दृष्टि-संबंधी देखभाल, दवाएं, अस्पताल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं (जैसे, नर्सिंग देखभाल, कान की मशीन, ड्रेसिंग, फुट ऑर्थोटिक्स, आदि) और पैरामेडिकल सेवाएं (उदाहरण के लिए, हाड वैद्य, मालिश चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, आदि)।

स्वास्थ्य देखभाल लाभ में कल्याण लाभ योजना (उदाहरण के लिए, फिटनेस उपकरण, योग कक्षाएं इत्यादि) या अन्य स्वास्थ्य से संबंधित लाभों के अंतर्गत कवर की गई सेवाएं शामिल नहीं हैं जो कार्यकर्ता की स्वास्थ्य लाभ योजना के तहत शामिल नहीं हैं (उदाहरण के लिए जैसे, कुछ डॉक्टर के पर्चे के बिना की दवाएं, पेंशन, जीवन और यात्रा बीमा, आदि शामिल हो सकते हैं)।

2. क्या इसमें मेरे आश्रित कवर हैं?

यदि आपके पति/पत्नी, वयस्क परस्पर-निर्भर साथी या आश्रित आपकी चोट से पहले आपकी स्वास्थ्य लाभ योजना के अंतर्गत कवर थे, तो वे अभी भी निरंतर कवरेज के लिए पात्र हैं।

यदि किसी आश्रित की दुर्घटना से पहले कार्यकर्ता की लाभ योजना के तहत कवरेज नहीं थी, तो दुर्घटना के बाद भी आश्रित की कवरेज नहीं होगी।

3. क्या किसी व्यक्ति को निरंतर लाभ प्राप्त करने से छूट मिलती है?

कानून के अनुसार निम्नलिखित लोगों को निरंतर स्वास्थ्य लाभ कवरेज से बाहर रखा जाता है:

- स्वयंसेवी आपातकालीन प्रतिक्रिया कर्मि (उदाहरण के लिए, स्वयंसेवक अग्निशामक, एम्बुलेंस ड्राइवर, आदि)
- ऐसा कर्मचारी जिसकी व्यक्तिगत कवरेज है
- उप-ठेकेदार-यह केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो डब्ल्यूसीबी के निर्धारण के अनुसार साझेदारी में या स्वामित्व में व्यवसाय करते हैं। यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जिनके नियोक्ता के साथ संबंधों को डब्ल्यूसीबी द्वारा निर्धारित किया गया है जैसे कि कार्यकर्ता/नियोक्ता के लिए होना।
- छात्र
- छूट उद्योगों में नियोक्ता और श्रमिक, सिवाये इसके जब वैकल्पिक कवरेज के लिए अनुमोदित आवेदन प्रभावी होता है।

4. क्या होता है यदि मेरा नियोक्ता मेरे स्वास्थ्य लाभों का विस्तार नहीं करता है?

यदि आपका नियोक्ता योगदान देना जारी नहीं रखता है, तो वह आपके द्वारा किए गए किसी भी फुटकर खर्चों के लिए उत्तरदायी होता या होती है जो लाभ योजना द्वारा कवर किया गया होगा। आपके नियोक्ता को प्रशासनिक दंड भी दिया जा सकता है।

यदि आपका नियोक्ता आपके स्वास्थ्य लाभों का विस्तार नहीं करता है तो आपका केस मैनेजर आपके द्वारा किए गए फुटकर खर्चों को जमा करवाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेगा।

5. अगर मैं प्रीमियम के अपने हिस्से का भुगतान करना जारी नहीं रखता तो क्या होगा?

निरंतर लाभों के लिए पात्र होने के लिए आपको प्रीमियम के अपने हिस्से का भी योगदान देना जारी रखना होगा यदि आप इनका भुगतान अपनी दुर्घटना या बीमारी से पहले भी कर रहे थे।

यदि आप इसे जारी नहीं रखने का चयन करते हैं, तो आपको किसी भी मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल लागतों के लिए कवर नहीं किया जाएगा। आपके योगदानों को जारी रखने के लिए आपके लिए निर्धारित प्रक्रिया के बारे में अपने नियोक्ता से बात करें।

यदि आप योगदान को जारी नहीं रखने का निर्णय करते हैं, तो कृपया अपने डब्ल्यूसीबी दावे के मालिक को अपने निर्णय के बारे में सूचित करने के लिए संपर्क करें।

6. अगर मेरी चोट से संबंधित कारणों से मुझे बर्खास्त कर दिया गया है तो क्या होगा? क्या मैं अभी भी अर्हता प्राप्त करता हूँ?

जख्मी श्रमिक उन सभी लाभों के हकदार हैं जो उनके दुर्घटना के समय से पहले थे। इसका मतलब है कि आपके नियोक्ता को आपके स्वास्थ्य लाभ प्रीमियमों का भुगतान तब तक जारी रखने की आवश्यकता है जब तक:

- काम से अनुपस्थित रहने पर या अपने नियमित नौकरी कर्तव्यों को करने में असमर्थ होने पर या दुर्घटना की तारीख के बाद एक वर्ष तक, जो भी पहले हो,
- आपकी नौकरी इस कानून से मुक्त नहीं है,
- आप दुर्घटना के समय लाभों के हकदार थे, और
- आप दुर्घटना के समय भुगतान किए गए कवरेज के अपने हिस्से का योगदान देना जारी रखते हैं।

कार्यस्थल पर दुर्घटना के बाद अपने दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां [क्लिक करें](#)।

अभी भी सवाल हैं? कृपया हमसे

1-866-922-9221 पर टोल-फ्री संपर्क करें।

* यदि आप कवरेज अवधि के दौरान अपने नियोक्ता के साथ स्वेच्छा से अपने रोजगार संबंध समाप्त करते हैं, तो अब आप अपने रोजगार के अंतिम दिन के बाद नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए स्वास्थ्य लाभों के हकदार नहीं होंगे।

